



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2026

विषय:-केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली प्रसाद जो मो0 कैथन सराय, थाना-सण्डीला, जनपद-हरदोई का निवासी है। बन्दी द्वारा चांदी को गलाने के धुंआ को बन्द कराने के विवाद को लेकर दिनांक 04.06.2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-388/2011 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-02, हरदोई द्वारा दिनांक 10.02.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.07.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 01 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 03.07.2023 तक 66 वर्ष है।

3- सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली प्रसाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल(बन्दी संख्या-28180) पुत्र श्री मंगली प्रसाद,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निवासी जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-10/2026/1820(1)/22-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।